सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरकों के उत्पादकों द्वारा

झेली जा रही समस्याएं

2738. **श्री जनार्दन यादव** : क्या **रासायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग को राजसहायता/रियायत देने के संबंध में किसी स्पष्ट नीति के अभाव में सिंगल सुपर फास्फेट के उत्पादक बहुत विकट संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख)यदि हां, तो ऐसी इकाइयों की कुल संख्या कितनी है और गत वर्ष के दौरान उनकी उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी थी और वास्तविक उत्पादन कितना-कितना था और बंद पडी इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में फास्फेट आधारित उर्वरकों के उत्पादन और खपत में तेजी से गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डोफेलेरियो) : (क) और (ख) देश में मध्यम और लघु क्षेत्र की लगभग 80 सिंगल सुपरफास्फेट (एस एस पी) इकाइयां हैं जिनकी स्थापित क्षमता लगभग 51.4 लाख टन एस एस पी वार्षिक है । वर्ष 1994-95 के दौरान 54 रिपोर्टिंग इकाइयों का एस एस पी का उत्पादन लगभग 26.37 लाख टन था । वर्ष 1994-95 के दौरान 26 एस एस पी इकाइयों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी ।

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान फास्फेटिक उर्वरकों की खपत और उत्पादन निम्नलिखित था:-

(पोषक लाख टनों में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
1992-93	23.06	28.44
1993-94	18.16	26.69
1994-95	24.93	29.32

(घ) पोटासिक और फास्फेटिक उर्वरकों को नियंत्रण मुक्त करने के परिणामस्वरूप उनके मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए कृषकों के इन उर्वरकों की बिक्री के लिए विशेष रियायत योजना लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) और स्वदेशी डाई-अमोनियम फास्फेट (डी ए पी) की बिक्री पर 1000/- रुपये प्रति टन की रियायत उपलब्ध है । अन्य कम्पलैक्स ग्रेड उर्वरकों, उनमें फास्फेट और पोटाश मात्राओं के अनुसार अनुपातिक रियायत के लिए हकदार है । एस एस पी पर 340/- रुपये प्रति टन रियायत उपलब्ध है ।

देश में फास्फेट आधारित उर्वरकों की उत्पादन लागत कम करने के लिए भी उपाय किए गए हैं । इनमें ये सम्मिलित हैं:

(I) नए उर्वरकों संयंत्रों की स्थापना के लिए और विद्यमान संयंत्रों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण के लिए भी अपेक्षित पूंजीगत मदों के आयात पर सीमा-शुल्क समाप्त कर दिया गया है ।

(II) फास्फोरिक एसिड, जो फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री है, के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री है, के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है ।

(III) 1.1.1991 से अथवा इसके पश्चात प्रारम्भ किए गए संयंत्रों के संबंध में पूंजीगत मदों पर सीमा शुल्क की वापसी और आवधिक ऋणों पर ब्याज में 3% की छूट की योजना पर स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(IV) फासफोटिक और पोटासिक उर्वरकों और उनकी कच्ची सामग्री के लिए रेल माल भाड़ा कम कर दिया गया है ।

Committee for examining recommendations on customs duty

2739. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether a Committee has been constituted by his Ministry to examine the recommendations regarding customs duty on import of various drugs and drug intermediates; and

(b) if so, the guidelines laid down for such recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN-THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) No form-Committee has been constituted examine the Budget proposals regard g